भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3356

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना

†3356. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित कितने वाहन चलने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाहनों की बढ़ती संख्या देश के शहरों में प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत है और यदि हां, तो सरकार द्वारा आम लोगों द्वारा उनके विनिर्माण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार एक परिवार में एक से अधिक वाहन रखने पर जुर्माना लगाने और लोगों द्वारा दैनिक यात्रा के लिए यात्री वाहनों/मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विचार करेगी?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) देश में सड़कों पर चलने वाले वैध फिटनेस और पंजीकरण के आधार पर 6 मार्च, 2026 तक सक्रिय वाहनों की कुल संख्या 32,16,35,208 है। वैध फिटनेस और पंजीकरण के आधार पर कुल सक्रिय वाहनों की राज्यवार गणना अनुलग्नक पर संलग्न है।

(ख) 2021 में जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले राष्ट्रीय कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में सड़क परिवहन का योगदान लगभग 12% है। [स्रोत: आईईए और नीति आयोग रिपोर्ट-भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव; प्रकाशित: जुलाई: 2023] सरकार ने देश में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

I. मोटर वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए दिनांक 16.09.2016 के सा.का.नि. 889 के तहत वैकल्पिक ईंधन के उपयोग सहित भारत स्टेज (बीएस) VI उत्सर्जन सीमाएं अधिसूचित की गईं।

II. सभी श्रेणी के वाहनों के लिए दिनांक 5 जनवरी, 2024 के सा.का.नि. 27 (अ) के तहत ई20 को मोनो ईंधन के रूप में अधिसूचित किया गया।

III. आईसीएई बीएस-IV वाहनों के लिए दिनांक 16 दिसंबर 2022 के सा.का.नि. 885(अ) के माध्यम से हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अधिसूचित किया गया।

IV. मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के अंतर्गत पुराने, अनफिट, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 5 अक्टूबर 2021 के सा.का.नि. 720 के माध्यम से वाहन स्क्रैपिंग नीति को अधिसूचित किया गया।

V. दिनांक 2 नवंबर 2017 के सा.का.नि. 1361 के तहत सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टोल प्लाजा पर वाहनों के खड़े रहने का समय कम हो, ईंधन की खपत और उत्सर्जन में कमी आए।

2. सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं।

I. का.आ. 5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

II. सा.का.नि. 525 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के तहत जारी अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

III. सा.का.नि. 302 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के तहत किसी भी परमिट शुल्क के भुगतान के बिना बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

IV. सा.का.नि.167 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के तहत वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए अधिसूचना जारी की गई है और उनके अनुपालन मानक ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 123 के अनुसार होंगे।

V. दिनांक 7 अगस्त, 2018 को जारी सा.का.नि.749 (अ) के तहत अधिसूचना में परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में तथा अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया गया है।

VI. बिना बैटरी वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

'सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना' के संबंध में श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3356 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सड़क पर चलने वाले कुल सक्रिय वाहनों का राज्य-वार संवितरण :

राज्य का नाम	सड़क पर चलने वाले कुल वाहन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,29,987
आंध्र प्रदेश	1,36,65,275
अरुणाचल प्रदेश	3,23,431
असम	59,42,782
बिहार	1,34,25,192
चंडीगढ़	7,50,801
छत्तीसगढ़	76,63,213
दिल्ली	86,22,040
गोवा	12,06,098
गुजरात	2,36,11,658
हरियाणा	1,09,50,548
हिमाचल प्रदेश	19,77,445
जम्मू और कश्मीर	22,08,385
झारखंड	67,66,582
कर्नाटक	2,31,03,294
केरल	1,46,04,604
लद्दाख	44,758
लक्षद्वीप	19,374
मध्य प्रदेश	1,85,92,086
महाराष्ट्र	3,57,67,382
मणिपुर	4,44,494
मेघालय	4,34,451
मिजोरम	3,19,717
नागालैंड	3,13,388
ओडिशा	96,32,356
पुदुचेरी	9,42,055
पंजाब	1,06,91,701
राजस्थान	2,00,83,280
सिक्किम	1,14,147
तमिलनाडु	2,80,92,139
तेलंगाना	4,92,934
त्रिपुरा	6,74,144
दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप	2,80,192
उत्तर प्रदेश	4,19,63,252
उत्तराखंड	34,99,054
पश्चिम बंगाल	1,42,82,969
कुल	32,16,35,208

*****